GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF EDUCATION
DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION NO. 290
TO BE ANSWERED ON 30.03.2022

ADMISSION THROUGH UNION MINISTER'S DISCRETIONARY QUOTA IN KVs

290 SHRI SUSHIL KUMAR MODI:

Will the Minister of ***Education*** be pleased to state:-

(a) the number of admissions recommended through Union Minister's discretionary quota in Kendriya Vidyalayas (KVs), year-wise, during the last three years;

(b) whether Union Minister's admissions quota for KVs follows reservation policy for SC, ST, OBC and EWS;

(c) if so, the number of admissions recommended under each reservation category over last three years;

(d) if not, the number of admissions which went to reserved categories even if Minister's quota was not exercised as per reservation policy;

(e) whether Member of Parliament (MP) quota follows reservation policy, if not, reasons therefor; and

(f) the details of admissions across reservation categories under MP quota?

ANSWER
MINISTER OF EDUCATION
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) to (f) A statement is laid on the Table of the House.

******

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (f) OF THE RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 290 RAISED BY SHRI SUSHIL KUMAR MODI, HON'BLE MEMBER OF PARLIAMENT TO BE ANSWERED ON 30/03/2022 REGARDING ADMISSION THROUGH UNION MINISTER'S DISCRETIONARY QUOTA IN KVs.

(a) to (d) The admissions recommended under the Hon'ble Union Minister's discretionary quota in Kendriya Vidyalayas (KVs) are at the discretion of the Hon'ble Minister of Education. The number of admissions recommended and admissions made under the Hon'ble Union Minister's discretionary quota in KVs during the last three years and number of students admitted in KVs from the reserved categories are as under:-

Sl. No.	Years	No. of admissions recommended under the Minister's discretionary quota	No. of admissions under the Minister's discretionary quota	Categories			
				SC	ST	OBC	EWS
1.	2019-2020	12372	9411	955	135	1946	128
2.	2020-2021	16752	12295	1105	157	2911	190
3.	2021-2022	-Nil-					

No admission under Minister's discretionary quota has taken place in the academic year 2021-22. Every organization keeps revisiting its procedures and policies in order to bring qualitative changes in the system. The National Educational Policy 2020 mandates reconfiguration of existing academic and administrative practices. This includes maintaining a healthy pupil-teacher ratio (PTR) at the foundational level to achieve desired learning outcomes.

(e) & (f) The admissions recommended under the "New Scheme of Special Dispensation Admission for Members of Parliament for recommending names for admission in KVs" in KVs by the Hon'ble Members of Parliament are at the discretion of the respective Hon'ble Member. Hon'ble Members of Parliament have been provided with the discretionary quota of 10 admissions in the KVs of their constituency / State / Union Territory (as the case may be) each year. During the year 2021-22, 7301 students including SC-609, ST-212, OBC-1811 and EWS – 55 have been admitted in KVs under this scheme.

*****

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्याः 290
उत्तर देने की तारीख: 30.03.2022

केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय मंत्री के विवेकाधीन कोटे के माध्यम से हुए दाखिले

290 **श्री सुशील कुमार मोदीः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों (के वी) में केन्द्रीय मंत्री के विवेकाधीन कोटे के माध्यम से वर्ष-वार कितने दाखिलों की सिफारिश की गई है;
(ख) क्या केन्द्रीय विद्यालय में केन्द्रीय मंत्री के दाखिला कोटे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नीति का पालन किया जाता है;
(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक आरक्षित श्रेणी के अधीन संस्तुत दाखिलों की संख्या कितनी है;
(घ) यदि नहीं, तो आरक्षण नीति के अनुसार मंत्री के कोटे को लागू नहीं किये जाने के बावजूद आरक्षित श्रेणी में कितने दाखिले हुए;
(ङ) क्या संसद सदस्यों के कोटे में आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(च) संसद सदस्य कोटे के अधीन सभी आरक्षित श्रेणियों में हुए दाखिलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

केन्द्रीय विद्यालयों में केन्द्रीय मंत्री के विवेकाधीन कोटे के माध्यम से हुए दाखिले के संबंध में श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा दिनांक 30.03.2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 290 के उत्तर के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): केन्द्रीय विद्यालयों (केवि) में माननीय केंद्रीय मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत अनुशंसित दाखिलों की संख्या माननीय शिक्षा मंत्री के विवेक पर होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केवि में माननीय केंद्रीय मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत अनुशंसित दाखिलों और हुए दाखिलों की संख्या और आरक्षित श्रेणियों से केवि में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या निम्नानुसार है: -

क्रम संख्या	वर्ष	मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत अनुशंसित दाखिलों की संख्या	मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत दाखिलों की संख्या	श्रेणी			
				एससी	एसटी	ओबीसी	ईडबल्यूएस
1.	2019-2020	12372	9411	955	135	1946	128
2.	2020-2021	16752	12295	1105	157	2911	190
3.	2021-2022	-शून्य-					

मंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में कोई प्रवेश नहीं हुआ है। प्रत्येक संगठन, प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा करता रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मौजूदा शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रथाओं के पुनर्विन्यास का अधिदेश दिया गया है। इसमें इच्छित अधिगम परिणामों को प्राप्त करने के लिए मूलभूत स्तर पर एक अच्छा छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) बनाए रखना शामिल है।

(ड.) और (च) माननीय संसद सदस्यों द्वारा "केवि में दाखिले हेतु नामों की सिफारिश करने के लिए संसद सदस्यों के लिए विशेष दाखिला व्यवस्था की नई योजना" के तहत केवि में अनुशंसित दाखिलों की संख्या संबंधित माननीय सदस्य के विवेक पर है। माननीय संसद सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 10 दाखिलों का विवेकाधीन कोटा प्रदान किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत केवि में एससी-609, एसटी-212, ओबीसी-1811 और ईडब्ल्यूएस-55 सहित 7301 छात्रों को दाखिला दिया गया है।

*****

श्री सुशील कुमार मोदी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूँगा कि there is a 17-seat quota, that is, sponsoring-authority quota in each and every Kendriya Vidyalaya, which is being used by the District Collector. यह जो 17 का कोटा प्रत्येक विद्यालय में है, हरेक विद्यालय में है, 5 in each section of class 1, 10 for class 2-9 और 2 discretionary quota है। That comes about 22,000, जिसमें न तो कोई merit है और न ही कोई reservation है। मैं माननीया मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूँगा कि जो 22,000 sponsoring authority का quota है, क्या सरकार इसको समाप्त करने का विचार करती है?

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य, आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी ने जो चिन्ता जाहिर की है, निश्चित रूप से समय-समय पर केन्द्रीय विद्यालयों में नामांकन से सम्बन्धित यह चर्चा राज्य सभा में भी और लोक सभा में भी उठती रही है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लोक सभा में भी इस पर चर्चा हुई है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने चेयर से नियमन दिया है कि सभी दलों के नेताओं के साथ इस पर विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। मैं आज इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य जी से कहना चाहती हूं कि ये लगभग सभी की चिंता है इसलिए विभाग ने यह तय किया है कि आप सभी के साथ चर्चा करने के बाद जैसा आप सभी का निर्णय होगा, उस पर विभाग गंभीरता से विचार करेगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने sponsoring authority quota का जिक्र किया था। This is not M.P. quota. This is sponsoring authority quota, which is different from M.P. quota. Now, I come to my second supplementary. महोदय, मैं सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना Ministerial quota समाप्त कर दिया है। मैं माननीया मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि M.P. quota को बढ़ाया जाना संभव नहीं है और यदि बढ़ा भी देंगे, तो भी लोगों की नाराजगी बनी ही रहेगी। क्या सरकार ने जिस प्रकार से मंत्री कोटा समाप्त कर दिया है, उसी प्रकार से M.P. quota को समाप्त करने का विचार रखती है?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय मंत्री जी, प्लीज़...**(व्यवधान)**...माननीय थंबीदुरई जी, प्लीज़। Hon. Minister, please start. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती अन्नपुर्णा देवी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा आदरणीय सदस्य ने कहा, चाहे किसी भी तरह का कोटा हो, मैंने पहले भी कहा कि इस पर लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि इसमें आरक्षण नीति का पालन नहीं हो रहा है या अन्य विसंगतियां हैं। मैं फिर से यह कहना चाहूंगी कि सभी का जो भी निर्णय होगा, उस पर विभाग गंभीरतापूर्वक विचार करेगा।

SHRI P. WILSON: Sir, there are complaints that the standard of education in Kendriya Vidyalayas has gone down considerably because the Government is

employing teachers on contract basis. Will the Government fill the vacancies with regular recruitment?

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधान मंत्री जी काफी चिन्तित हैं। उन्होंने नियुक्ति के संबंध में पूछा तो नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। जैसे-जैसे आवश्यकता होती है, विभाग उस पर विचार करके नियुक्तियां करता है। निश्चित रूप से शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी काफी गंभीर हैं। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कैसे किया जा सके, इस पर लगातार कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से आप सभी के सुझाव से हम और बेहतर करने का प्रयास भी कर रहे हैं।

SHRI P. WILSON: Give us the time-limit.

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय श्री संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आदरणीय सदस्य श्री सुशील कुमार मोदी जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है। सर, मेरा microphone नहीं चल रहा है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : Microphone नहीं चल रहा है, कृपया आप स्विच ऑन कर लीजिए। देखिए, चालू हो गया।

श्री संजय सिंह : महोदय, मैं ज्यादा तेज बोलता हूं, तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम होती है और माइक चालू कराता हूं, तब भी प्रॉब्लम होती है। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालयों के प्रति लोगों में एक भरोसा और आकर्षण है। मैं सबसे पहले इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। महोदय, देश के सभी लोग यह चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और केन्द्रीय विद्यालयों में अच्छी शिक्षा मिलती है, इस कारण चाहे गरीब आदमी हो या आम आदमी हो, वह यह चाहता है कि उसके बच्चे का केन्द्रीय विद्यालय में दाखिला हो जाए। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है? यदि आप इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो सांसदों का कोटा है, उसे भी बढ़ाइये अन्यथा 10 के कोटे में हम लोगों को सिर्फ नाराज़गी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवीः उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने केन्द्रीय विद्यालय खोलने के बारे में कहा है। इस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि केन्द्रीय विद्यालय खोलने के संबंध में राज्य से प्रस्ताव आते हैं। इसके लिए एक पद्धति है, उसके माध्यम से प्रस्ताव कमेटी में जाता है और कमेटी उस पर विचार करती है। उसके बाद हम केन्द्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय करते हैं।

जहाँ तक कोटा बढ़ाने या समाप्त करने की बात है, इस संबंध में पहले भी बात हुई है, इसलिए हम फिर से यही कहेंगे कि सरकार और विभाग इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं।

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से केन्द्रीय विद्यालय के कोटे के संबंध में तरह-तरह के मत चल रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि व्याप्त रूप से सभी सांसद इस 10 के चक्कर में दबाव में हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना सवाल पूछें।

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि New Education Policy की भी बात हो रही है। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं और 44,816 कर्मचारी हैं। अगर आप अनुपात देखें, तो 32 छात्रों पर एक कर्मचारी होता है। Pupil-teacher ratio की भी बात हो रही है, लेकिन हम abruptly end करके वह टारगेट achieve नहीं कर सकते हैं और यहाँ पर कोई जी.डी. गोयनका या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले माँ-बाप नहीं आते हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप अपना सवाल पूछें।

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ पेड़ के नीचे दाढ़ी बनाने वाला जो है, मैं उसकी जाति भी नहीं पूछ सकता हूँ, वह गरीब है, इतना जानता हूँ कि उसकी बच्ची पढ़ी और बेंगलुरु गई।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपका सवाल क्या है?

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि डीएम और कमिश्नर के जो discretionary quota हैं, क्या उनको divert करके public representatives के quota को बढ़ाया जा सकता है? दूसरी बात यह है...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : एक ही सवाल।

श्री विवेक ठाकुर : उपसभाध्यक्ष महोदय, लास्ट इयर मिनिस्ट्री का कोटा nil हुआ, suspend हुआ, वह abolish हुआ या नहीं हुआ, यह भी अभी स्पष्ट नहीं है। उसके पहले 12,295 admissions हुए।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I will have to move on. इतना लंबा सवाल नहीं ले सकते। Please ask only one question.

SHRI VIVEK THAKUR: No, Sir. What I am saying is that if you divide it amongst all the Members of Parliament of Lok Sabha and Rajya Sabha, still it is an enhancement of 15, and, that is the need of the hour.

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी: उपसभाध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार शिक्षा के सार्वभौमिक पहुँच के साथ-साथ सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं माननीय सदस्य से फिर से यह कहना चाहूँगी कि जिस कोटा की चिंता सभी माननीय सदस्य कर रहे हैं, विभाग सभी तरह के कोटे पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। अभी सभी सम्मानित विद्वान, सभी माननीय सदस्यों ने तथा लोक सभा के माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उन्होंने भी कहा है, हम सभी की राय लेंगे और उन पर विचार-विमर्श करने के उपरांत विभाग इस पर निर्णय लेगा।....*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्रश्न संख्या 291 ...**(व्यवधान)**...